



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 11.07.2024

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को इटावा पुलिस किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना भरथना पुलिस द्वारा गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.07.2024 को थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादिनी द्वारा थाना भरथना पर दिनांक 08.07.2024 को छोटे पुत्र रमेशचन्द्र द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने तथा मना करने पर गाली गलौज कर धमकी देने के संबंध में तहरीरी सूचना दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना भरथना पर मु0अ0सं0 171/24 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट परिवर्तित धारा 65(2)/351(3)/352 बीएनएस व धारा 5 M/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 11.07.24 को थाना भरथना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 171/2024 से संबंधित अभियुक्त छोटे उर्फ छोटेलाल पुत्र रमेशचन्द्र उर्फ राम चंद्र को कृष्णा नगर चौराहे के पास से समय 13.17 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

छोटे उर्फ छोटेलाल पुत्र रमेशचन्द्र उर्फ राम चंद्र निवासी ग्राम विवौली पोस्ट विरौधी थाना भर थाना भरथना जनपद इटावा उम्र करीब 37 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 171/2024 धारा 65(2)/351(3)/352 बीएनएस व धारा 5 M/6 पाक्सो एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।

पुलिस टीम -निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह प्रभारी थाना भरथना, उ0नि0 इदू हसन, आरक्षी सोनवीर सिंह मय टीम।